

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज गोविन्दकरण राठौड़ बनाम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, लूणी) सू.अ.अपील संख्या 114/2022</p>	<p>न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>13.06.22</p>	<p>अपीलार्थी गोविन्दकरण राठौड़ पुत्र धनकरण राठौड़ निवासी 79, हनवन्त बी सेक्टर बी, बी.जे.एस. कॉलोनी, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 04.04.2022 में उसके द्वारा (1) तहसीलदार, लूणी द्वारा नामा.संख्या 1410 से मेघवाल सामुदायिक सभा भवन को गांव झंवर में नियमन आवंटन किया गया, उनकी प्रति प्रदान करने (2) अन्य बिन्दुओं से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, लूणी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	

